(34)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 43 / 2010

गजेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. योगेश कुमार
2. देवेन्द्र कुमार पिसरान सुरेश चन्द जाति ब्राह्मण नदबई तहसील नदबई
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री शीशराम वर्मा वकील वादी
श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दिनांक :– 21.01.2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 338 / 0. 68, 339 / 0.08, 340 / 0.79, 347 / 0.02 हैक्टर बांके ग्राम हैवतका तहसील पहाडी में स्थित है प्रतिवादीगण के माता माया देवी वादी की खास बुआ थी जिसकी शादी वादी के बाबा ब्रह्मानन्द ने प्रतिवादीगण के पिता सुरेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी नदबई के साथ की थी। शादी के बाद माया देवी अपनी ससुराल में रहकर जीवनयापन कर रही थी सन् 1975 में वादी की बुआ व माता प्रतिवादीगण का मानसिक सन्तुलन बिगड जाने के कारण पागलपन की स्थिति में आ गई थी जिसके कारण प्रतिवादीगण व उनके पिता सुरेश चन्द ने माया देवी को अपने घर से निकाल दिया था और माया देवी प्रतिवादीगण व अपने पति सुरेश से सारे रिश्ते नाते व पारिवारिक सम्बन्धों को छोडकर अपने पिता ब्रह्मानन्द के पास आकर रहने लग गई तथा जिसका सारा इलाज, दवाई, रोटी,कपडा, की व्यवस्था वादी व उसका पिता जगदीश एवं बाबा ब्रह्मानन्द करते रहे थे उस वक्त वादी नाबालिग था मायादेवी सन 1977 में पूर्ण रूप से स्वस्थ्य चित मस्तिष्क हो

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गई थी। उसके पश्चात भी प्रतिवादीगण व उसके पिता सुरेश चन्द ने अपने पास ही रखा तो वादी के बाबा ब्रह्मानन्द ने अपनी पुत्री माया देवी के जीवन यापन के लिये आराजी मुतदाविया को दयाल चन्द पुत्र लेखराज जाति राजपूत निवासी हैवतका से दिनांक 06.06.1978 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर अपनी पुत्री माया देवी के नाम बयनामा तस्दीक करा दिया व कब्जा प्राप्त कर लिया था। श्रीमति मायादेवी नदबई से वापिस गोपालगढ आ गई और वादी व उसके पिता जगदीश प्रसाद के साथ रहने लग गई थी और उसके देखभाल सेवा वादी व उसके पिता करते थे वादी का पिता सरकारी नौकरी करता था इसलिये मायादेवी के साथ वादी काश्त करता रहा था और मायादेवी की सेवा करता था। जिससे प्रसन्न होकर मायादेवी ने आराजी को माह अप्रेल 1983 को वादी को हमेशा–हमेशा के लिये काश्त करने को बता दिया था और आराजी से अपने समस्त अधिकार तर्क कर वादी को मौके पर कब्जा संभाल दिया था तभी से वादी आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा इस वक्त भी वादी का आराजी पर कब्जा है। वादी की बुआ व प्रतिवादीगण की माता मायादेवी सन 1985 में ग्राम गोपालगढ में ही देहान्त हुआ था जिसका सारा क्रियाकर्म दाहसंस्कार व ब्राह्मण भोज वगैराह सारी क्रिया वादी द्वारा ग्राम गोपालगढ में ही सम्पन्न की थी। वादी आराजी मुतदाविया को सन् 1983 में मायादेवी से प्राप्त कर लेने के बाद से निरन्तर काबिज रहकर आज तक बिना अवरोध के काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये वादी को आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में देरीना कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी मुतदाविया पर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के वजाह पहले मायादेवी को व उसके गूजर जाने के बाद प्रतिवादीगण को कतई गलत खिलाफ कानून मौकाा व कब्जा दर्ज किया जा रहा है उक्त गलत इन्द्रा का इल्म वादी को दिनांक 08.05.2008 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुआ विधि वजह वादी अपने आपको आराजी मुतदाविया पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है और जो इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कराकर अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द करा पाने का अधिकारी है कि वे आराजी मुतदाविया को किसी दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल न करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में मय वकील उपस्थित आये। जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी ने यह वाद महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खारिज के है। वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 3 मायादेवी वादी की बुआ व प्रतिवादीगण की माता होना तो सही दर्ज किया है परन्तु मायादेवी का मानसिक सन्तुलन बिगड जाने के कारण पागलपन की स्थिति में आ जाना और उसको घर से निकाल देना कतई गलत अंकित किया है जबकि माया देवी की शादी सुरेश चन्द के साथ हुई थी और शादी के बाद आराजी मुतदाविया प्रतिवादीगण की माता माया देवी ने स्वयं खरीद की थी आराजी मुतदाविया मायादेवी की स्वयं अर्जित भूमि है आराजी मुतदाविया को मायादेवी माता प्रतिवादीगण ने अपने जीवनकाल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करती रही थी तथा उसके मरने के बाद आराजी मुतदाविया पर मायादेवी के वारिसान प्रतिवादीगण वाहैसियत वारिसान वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है ना ही मायादेवी का कभी भी मानसिक सन्तुलन बिगडा और ना ही वह पागलपन की स्थिति में आने के कारण अपने पिता ब्रह्मानन्द के पास रही थी विवादित आराजी स्वयं अर्जित भूमि थी जिस पर प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त निरन्तर रूप से चला आ रहा है आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व माया देवी के नाम दर्ज थी तथा उसके मरने के बाद मुताबिक कानून विरासत के रूप में आराजी पर प्रतिवादीगण का नाम वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार सही दर्ज हो रहा है। वादी का आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही कभी रहा है। मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है। प्रतिवादीगण की माता मायादेवी की शादी के बाद से मृत्यु तक अपनी ससुराल अपने पति व बच्चो के साथ ही रही है और उसकी मृत्यु अपनी ससुराल नदबई में हुई थी। मायादेवी अपने पीहर अपनी आराजी फसल की देखभाल करने आती जाती रहती थी परन्तु कभी भी स्थाई रूप से अपने पीहर गोपालगढ में निवास नहीं किया आराजी मुतदाविया से वादी का कभी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का ना तो रहा है और ना ही वर्तमान में है। आराजी मुतदाविया के प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा मुताबिक कानून एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादी आराजी मुतदाविया पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर इस वक्त भी वादी का कब्जा काश्त है।

.....वादी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादी आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादीगण के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 3 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। .....वादी

.....वादी

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादीगण की माता माया देवी मृत्यु तक ससुराल नदबई में अपने पति व बच्चो के साथ रह रही थी और उसकी मृत्यु अपनी ससुराल में हुई थी।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5 :– आया वादी प्रतिवादीगण के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करापाने का अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 6 :– आया प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया के रिकॉर्डेड खातेदार व आराजी है।

.....प्रतिवादीगण

7 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण में नियत की गई। साक्ष्य वादीगण में पी0डब्लू0 1 गजेन्द्र कुमार, पी0डब्लू0 2 फकरू, पी0डब्लू0 3 उमरदीन, पी0डब्लू0 4 सरदार खां, पी0डब्लू0 उस्मान, पी0डब्लू0 6 अलीशेर, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 11.09.2019 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 देवेन्द्र कुमार ,डी0डब्लू 2 सुरेश चन्द शर्मा, डी0डब्लू0 3 योगेश कुमार, के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063, नकल फोटो प्रति बयनामा दिनांक 06.06.1978, नकल पैमाईश आवेदन एवं पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.10.2005, नकल मौका पर्चा बांके ग्राम हैवतका दिनांक 14.05.2019, नकल मौका पर्चा ग्राम हैवतका 30.09.2019, मौका पर्चा ग्राम हैवतका 18.08.2020, नकल रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी दिनांक 18.02.2020, नकल सतर्कता मौका रिपोर्ट 04.09.2020, नकल अपील प्रार्थना पत्र 10.04.2017, नकल फोटो प्रति वयनामा 06.06.1978, नकल फोटो प्रति वयनामा सरदार खां दिनांक 06.06.1978 पेश किये।

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1 :– आया वादी आराजी मुतदाविया पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर इस वक्त भी वादी का कब्जा काश्त है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विवादित आराजी खसरा नम्बर 338/0.68, 339/0.08, 340/0.79, 347/0.02 हैक्टर बांके ग्राम हैवतका तहसील पहाडी में स्थित हैं। मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.10.2005, नकल मौका पर्चा बांके ग्राम हैवतका दिनांक 14.05.2019, नकल मौका पर्चा ग्राम हैवतका 30.09.2019, मौका पर्चा ग्राम हैवतका 18.08.2020 एवं नकल रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी दिनांक 18.02.2020 से प्रथम दृष्टया वादी का कब्जा प्रतीत होता है। परन्तु मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 प्रतिवादीगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। मुताबिक नकल फोटो प्रति बयनामा दिनांक 06.06.1978 आराजी को श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री सुरेशचन्द द्वारा खरीदा हुआ प्रमाणित है। जो कि प्रतिवादीगण की माता थी। एवं मायादेवी की मृत्यु के पश्चात आराजी विरासतन प्रतिवादीगण को प्राप्त हुयी है। पटवारी मौका रिपोर्ट की तुलना में राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) राजस्व कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वादी पूर्णतया रिकॉर्ड के आधार पर अपना कब्जा प्रमाणित नहीं कर पाया है। मौके पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पक्ष मे इन्द्राज भी किया जाना सम्भव नही है।

अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादी आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादीगण के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 2 एवं 3 की विषयवस्तु समान प्रकृति की है। दोनों तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अतः इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। तनकी संख्या 1 के विवेचन से पूर्णतः प्रमाणित है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज है एवं प्रतिवादीगण को आराजी विरासतन प्राप्त हुयी है। अतः वादी, प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकियां भी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादीगण की माता माया देवी मृत्यु तक ससुराल नदबई में अपने पति व बच्चो के साथ रह रही थी और उसकी मृत्यु अपनी ससुराल में हुई थी।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया है। जिससे सिद्व होता हो कि प्रतिवादीगण की माता माया देवी मृत्यु तक ससुराल नदबई मे ही रही थी। परन्तु वादीगण द्वारा भी मायादेवी के नदबई ना रहने एवं गोपालगढ मे साथ रहने के कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही कराये है। मृत्यु प्रमाण पत्र में मायादेवी की मृत्यु का स्थान गोपालगढ जरूर अंकित है। अतः यह तनकी आशिक रूप से विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया वादी प्रतिवादीगण के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करा पाने का अधिकारी नहीं है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी संख्या 02 एवं उक्त तनकी एक समान है। तनकी संख्या 02 का निर्णय विरूद्व वादी हो चुका है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया के रिकॉर्डेड खातेदार है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 प्रतिवादीगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। यह राजस्व रिकॉर्ड से बखूबी प्रमाणित है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

दादरसी :– तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले खारिज है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी~~गण~~ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner